जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 30.01.2024**

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा कांधला क्षेत्रान्तर्गत गाड़ी का शीशा तोडकर रिवाल्वर व कारतूस चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी की घटना में लिप्त 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया, कब्जे से चोरी की गई रिवाल्वर व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 19.01.2024 को वादी श्री बोबीमान पुत्र जगमेर सिंह निवासी सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत अपनी ससुराल सुभाष नगर कस्बा एलम थाना कांधला जनपद शामली में आया था, जिसने अपनी टाटा पंच गाड़ी को रेलवे लाईन के किनारे बनी सड़क पर खड़ी कर दी थी, गाड़ी के डैशबोर्ड में वादी की लाइसेंसी रिवाल्वर व कारतूस (लाइसेंस नं-2634/ADM/RSI, शस्त्र नं-A 2314 A 0.32 बोर) रखे थे। रात्रि में किसी समय अज्ञात चोरों द्वारा लाइसेंसी रिवाल्वर व कारतूस को चोरी कर लेने के सम्बन्ध लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर दिनांक 20.01.2024 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण कर घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश थानाध्यक्ष कांधला को दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 30.01.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा कांधला क्षेत्रान्तर्गत गाड़ी का शीशा तोडकर रिवाल्वर व कारतूस चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी की घटना में लिप्त 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की गई 01 रिवाल्वर व 05 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुए हैं। हिरासत एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गई 01 लाइसेंसी रिवाल्वर व 05 जिन्दा कारतूस।

आपराधिक इतिहास बाल अपचारीः-

1.मु0अ0स0 21/2024 धारा 379,411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री पविन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.हे0का0 अंकुर चौधरी थाना कांधला जनपद शामली (सादा वस्त्रो में)।

4.हे0का0 रविश हुड्डा थाना कांधला जनपद शामली (सादा वस्त्रो में)।

5.का0 अरूण कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

6.का0 आदेश कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

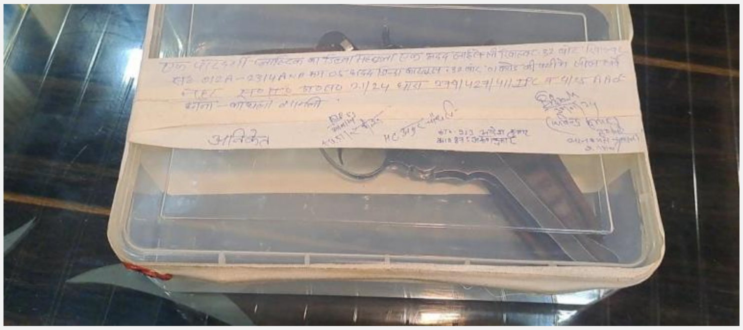

थाना कांधला पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 30.01.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कांधला पर चोरी, नकबजनी का मामला दर्ज हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.समीर पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला रेतेवाला (दरबारखुर्द) कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 465/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 230/2023 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.हे0का0 प्रवेश कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 नागेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गोकशी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 4000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 2012 में अभियुक्त 1.दिलशाद पुत्र गफूर निवासी बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी पर मु0अ0सं0 33/2012 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.01.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/ACJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि (18.03.2012 से 05.04.2012) तक के कारावास की सजा व 4000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.दिलशाद पुत्र गफूर निवासी बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI